बिहार सरकार

कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग

:: संकल्प ::

विषय :-राज्य सरकार के अधीन सभी स्तर के एवं सभी प्रकार के शैक्षणिक संस्थानों में नामांकन हेतु आरक्षण का प्रावधान करने के संबंध में ।

बिहार पुनर्गठन अधिनियम–2000 के आलोक में शेष बिहार में हुए जनसंख्या में परिवर्तन के कारण पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण प्रतिशत को संशोधित करते हुए नया आरक्षण प्रतिशत निर्धारित किया गया है । एतद् संबंधी बिहार अधिनियम–17, 2002 पारित किया जा चुका है ।

2. बिहार अधिनियम 17, 2002 के माध्यम से संशोधित आरक्षण प्रतिशत लागू हो जाने के फलस्वरूप सभी स्तर के एवं सभी प्रकार के शैक्षणिक संस्थानों में नामांकन हेतु बिहार अधिनियम 17, 2002 के अनुरूप आरक्षण की व्यवस्था आवश्यक हो गयी है । अतः सरकार द्वारा निर्णय लिया गया है कि राज्याधीन सभी स्तर एवं सभी प्रकार के यथा सामान्य, तकनीकी, गैर–तकनीकी व्यावसायिक आदि शैक्षणिक संस्थानों में नामांकन हेतु बिहार अधिनियम–17, 2002 के अनुरूप निम्न रूप से आरक्षण की व्यवस्था की जाय:–

1. अनुसूचित जातियाँ — 16 प्रतिशत
2. अनुसूचित जन जातियाँ — 01 प्रतिशत
3. अत्यंत पिछड़ा वर्ग — 18 प्रतिशत
4. पिछड़ा वर्ग — 12 प्रतिशत
5. पिछड़े वर्ग की महिलाएँ — 03 प्रतिशत

3. एतद् संबंधी इस विषय पर निर्गत सभी संकल्प/परिपत्र इस हद तक संशोधित समझा जाय ।

4. यह आदेश तात्कालिक प्रभाव से लागू होंगे तथा जिन संस्थानों में नामांकन हेतु परीक्षाएँ/आवेदन पत्र लिये जा चुके हैं परंतु नामांकन नहीं हुआ हो तो उन पर भी लागू होंगे ।

आदेशः आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में जनसाधारण के सूचनार्थ प्रकाशित किया जाय ।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

(अरविन्द प्रसाद) ..9.2002

सरकार के सचिव ।